SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Fundamental Right

❖The Constitution of India listed the rights to the citizens of India that would be specially protected and known as the ‘Fundamental Rights.’

❖Fundamental Rights are different from other rights (i.e. ordinary legal rights) available to the citizens of India.

मौलिक अधिकार

❖भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध किया है जो विशेष रूप से संरक्षित और 'मौलिक अधिकारों' के रूप में जाना जाता है। '

❖मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों (यानी सामान्य कानूनी अधिकारों) से अलग हैं।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

❖Ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law; but Fundamental Rights are protected and guaranteed by the Constitution of India.

❖Ordinary Rights may be changed or amended by the legislature by ordinary law making process, but a Fundamental Right may only be changed by amending the Constitution itself.

❖Judiciary has the powers and responsibility (assigned by the Constitution) to protect the Fundamental Rights; in case any government's action violates it.

❖साधारण कानूनी अधिकारों को साधारण कानून द्वारा संरक्षित और लागू किया जाता है; लेकिन मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं।

❖साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा साधारण अधिकारों को विधायिका द्वारा परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, लेकिन एक मौलिक अधिकार को केवल संविधान में संशोधन करके बदला जा सकता है।

❖मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के पास अधिकार और जिम्मेदारी (संविधान द्वारा निर्दिष्ट) है; यदि किसी सरकार की कार्रवाई इसका उल्लंघन करती है।

❖Judiciary, if found any act of the government (either by Executive or by Legislature) equivalent to violation of the Fundamental Rights, can be declared that act illegal or restrict them to do further so.

❖However, Fundamental Rights have some reasonable restrictions and hence, they are not absolute in nature.

❖Furthermore, the preamble to our Constitution speaks of ensuring all its citizens equality, liberty, and justice. Fundamental Rights put this promise into effect.

❖Fundamental Rights are very essential to everyone's life. They are the basic feature of the Constitution.

❖न्यायपालिका, यदि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समतुल्य सरकार के किसी भी कार्य (या तो कार्यपालिका या विधानमंडल द्वारा) पाया जाता है, तो यह घोषित किया जा सकता है कि अधिनियम अवैध है या उन्हें ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित कर सकता है।

❖हालांकि, मौलिक अधिकारों में कुछ उचित प्रतिबंध हैं और इसलिए, वे प्रकृति में पूर्ण नहीं हैं।

❖इसके अलावा, हमारे संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने की बात करती है। मौलिक अधिकारों ने इस वादे को लागू किया।

❖मौलिक अधिकार सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। वे संविधान की मूल विशेषता हैं।

SAFALTA CLASS

The Constitution of India provides six Fundamental Rights, which are mentioned in Articles 12 to 35 in Part-III (of Constitution).	**भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनका उल्लेख भाग- III (संविधान के) में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है।**

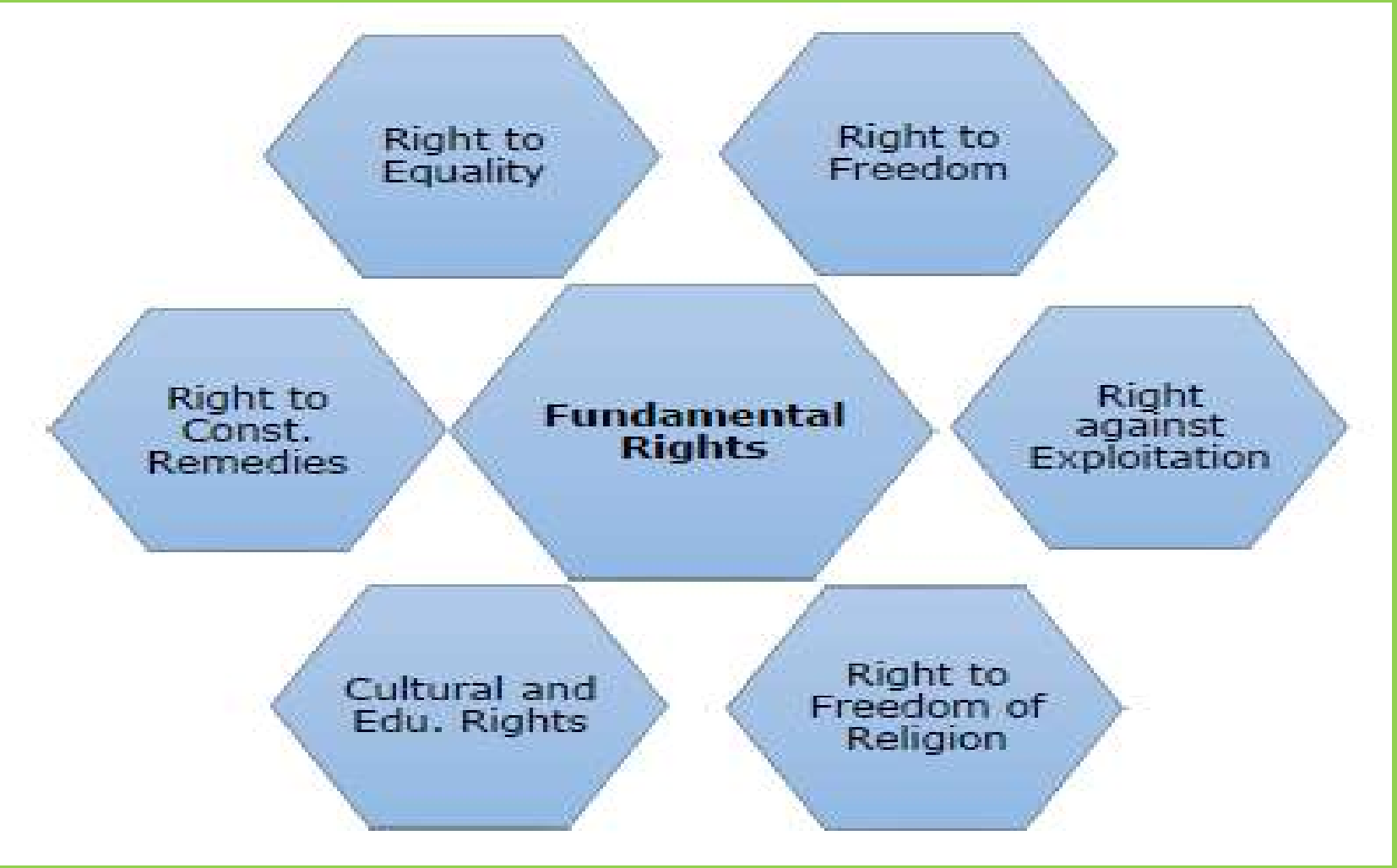

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Right to Equality (artical 14-18)

The Rule of law is the foundation of Indian democracy that states that the laws apply in the same manner to all, irrespective of a person's status. It means that the Prime Minister of the country or a poor farmer in a remote village is subject to the same law and equal treatment.artical

समानता का अधिकार (अनुच्छेद,14-18)

कानून का नियम भारतीय लोकतंत्र की नींव है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की स्थिति के बावजूद कानून सभी के लिए समान तरीके से लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री या एक दूरदराज के गांव में एक गरीब किसान एक ही कानून और समान उपचार के अधीन है।

❖Article 14 states that the government shall not deny to any person, equality before the law or the equal protection of the laws, which means

❖Laws apply in the same manner to all;

❖No person is above the law;

❖Every citizen is subjected to the same laws and same treatment;

❖No person can legally claim any special treatment or privilege on any of the ground; and

❖Law makes no distinction between a political leader, a government official, and an ordinary citizen.

❖अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सरकार किसी व्यक्ति, कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगी, जिसका अर्थ है -

❖कानून सभी के लिए समान तरीके से लागू होते हैं;

❖कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है;

❖प्रत्येक नागरिक को एक ही कानून और एक ही उपचार के अधीन किया जाता है;

❖कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर किसी विशेष उपचार या विशेषाधिकार का कानूनी तौर पर दावा नहीं कर सकता है; तथा

❖कानून एक राजनीतिक नेता, एक सरकारी अधिकारी और एक सामान्य नागरिक के बीच कोई अंतर नहीं करता है।

SAFALTA CLASS

Article 15 states that no citizen can be discriminated against on the basis of his/her religion, race, caste, sex, or place of birth.	अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Equality

Article 15 further enhanced the Right to Equality by providing that every citizen shall have equal access to public places like shops, restaurants, hotels, and cinema halls. Similarly, there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, playgrounds, and places of public resorts maintained by the government.

समानता

अनुच्छेद 15 ने यह सुनिश्चित करके समानता के अधिकार को बढ़ाया कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल तक समान पहुंच होगी। इसी तरह, कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों, खेल के मैदानों और सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक रिसॉर्ट्स के स्थानों के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Article 16	अनुच्छेद 16
states that the State cannot discriminate against anyone in the matters of employment.	कहता है कि राज्य रोजगार के मामलों में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Article 17	अनुच्छेद 17
abolishes the practice of untouchability in any form, which states that every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. The Untouchability Offences Act of 1955 (renamed to Protection of Civil Rights Act in 1976)	किसी भी रूप में छुआछूत की प्रथा को समाप्त करता है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें आदि शामिल हैं। अधिनियम 1955 की (नाम दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में)

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Right to Freedom (artical 19-22)

Freedom means non-interference and absence of restrictions in one's affairs by others, whether it be the individuals or the Government.

Freedom
The Constitution of India provides all citizens 'freedom' under Article 19 to do any of these following acts –

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद,19-22)

स्वतंत्रता का अर्थ है, गैर-हस्तक्षेप और दूसरों द्वारा किसी के मामलों में प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, चाहे वह व्यक्ति हो या सरकार।

आजादी
भारत का संविधान सभी नागरिकों को निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने के लिए अनुच्छेद 19 के तहत 'स्वतंत्रता' प्रदान करता है -